न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 12/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/48

प्रार्थी :–

राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्रीमती कविता/ राकेश पणदा, कोषाध्यक्ष
महिला स्वयं सहायता समुह ग्राम पंचायत,
मगरदा भाग द्वितीय तहसील सज्जनगढ,
जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

श्री दिलीप गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 05–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी बांसवाडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया कि श्रीमती कविता/ राकेश पणदा, कोषाध्यक्ष महिला स्वयं सहायता समुह ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय (पोस कोड 6387) तहसील सज्जनगढ की जांच दिनांक 25.09.2021 को की गई। मुताबिक जांच भौतिक सत्यापन किये जाने पर गोदाम में 12.71 क्विं. गेहूँ कम पाया गया। उक्त गेहूँ डीलर द्वारा गबन कर खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर श्रीमती कविता पणदा के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र 1532/2017 दर्ज किया गया तथा डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कुशलगढ में दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार डीलर ने उचित मुल्य दुकान मगरदा भाग [illegible] कोड 6387 का कुल 12.71 क्विं. गेहूँ का गबन किया है। उक्त 12.71 क्विं. गेहूँ की कीमत [illegible] की दर से 34317 रु. बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जन मांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राशि वसूल किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 112718/–रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी अप्रार्थी की ओर से दिनांक 08.08.2024 को श्री दिलीप कुमार गुप्ता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने दिनांक 30.09.2021 को जांच की थी जिसमे गेहूँ कम पाया गया था। इसलिये प्रार्थीया के खिलाफ अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में मामला बनाया जाकर पुलिस थाना कुशलगढ में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस मामले में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ के न्यायालय में मामला चल रहा है जिसका मुकदमा नंबर 231/2022 है। न्यायालय द्वारा जो भी फैसला किया जावेगा उसके अनुसार सजा भुगतने तैयार है। आप श्रीमान् द्वारा प्रार्थीया को जो नोटिस दिया है उसकी राशि भी प्रार्थीया फैसले के बाद जमा करवाने के लिये हर समय तैयार रहेगी। श्रीमान् से निवेदन है कि जब तक उक्त मामले में फैसला ना हो जावे तब तक के लिये रोके जाने आदेश फरमावे।

दिनांक 10.01.2025 व 12.02.2025 को उभयपक्षकरान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि श्रीमती कविता/ राकेश पणदा, कोषाध्यक्ष महिला स्वयं सहायता समुह ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय (पोस कोड 6387) तहसील सज्जनगढ की जांच दिनांक 25.09.2021 को की गई। मुताबिक जांच भौतिक सत्यापन किये जाने पर गोदाम में 12.71 क्विं. गेहूँ कम पाया गया। उक्त गेहूँ डीलर द्वारा गबन कर खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर श्रीमती कविता पणदा के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र 1532/2017 दर्ज किया गया तथा डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कुशलगढ में दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार डीलर ने उचित मुल्य दुकान मगरदा भाग द्वितीय पोस कोड 6387 का कुल 12.71 क्विं. गेहूँ का गबन किया है। उक्त 12.71 क्विं. गेहूँ की कीमत ... प्रति ... की दर से 34317 रु. बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जन मांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राशि वसूल किये जाने निवेदन किया।

अप्रार्थीया के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने दिनांक 30.09.2021 को जांच की थी जिसमे गेहूँ कम पाया गया था। इसलिये प्रार्थीया के खिलाफ अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में मामला बनाया जाकर पुलिस थाना कुशलगढ में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस मामले में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ के न्यायालय में मामला चल रहा है जिसका मुकदमा नंबर 231/2022 है। जो वर्तमान में बहस चार्ज हेतु नियत है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ की प्रोसिंडिंग की नकल पेश की तथा कथन किया कि न्यायालय द्वारा जो भी फैसला किया जावेगा उसके अनुसार सजा भुगतने तैयार है। आप श्रीमान् द्वारा प्रार्थीया को जो नोटिस दिया है उसकी राशि भी प्रार्थीया फैसले के बाद जमा करवाने के लिये हर समय तैयार रहेगी। श्रीमान् से निवेदन है कि जब तक उक्त मामले में फैसला ना हो जावे तब तक के लिये रोके जाने आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि **श्रीमती कविता/ राकेश पणदा, कोषाध्यक्ष महिला स्वयं सहायता समुह ग्राम पंचायत, मगरदा भाग द्वितीय तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा** द्वारा 12.71 क्विंटल गेहूं को गबन कर खुर्द बुर्द किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,2,5,6,7,8,11 व 17ग का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना कुशलगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 10.03.2022 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1532/2017 निरस्त किया गया है। डीलर से 12.71 क्विं. गेहूं कम पाया गया, इस प्रकार डीलर द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय राशि की हानि होना पाया जाता है। 12.71 क्विं. गेहु, की

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

राशि विभाग अनुसार 34317/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी **श्रीमती कविता/ राकेश पणदा, कोषाध्यक्ष महिला स्वयं सहायता समुह ग्राम पंचायत, मगरदा भाग द्वितीय तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा** से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 12.71 क्विं. गेहु की राशि विभाग अनुसार 34317/– रु अक्षरे रुपया चौतीस हजार तीन सौ सत्रह की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner